

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)



क्रमांक / अका. / 2025 / 4543

जबलपुर, दिनांक : 1/09/2025

प्रति,

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु नवीन अध्यादेश क्रं. (14)(2) सत्र 2025-26 से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के संबंध में सूचित है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/अका. /2025/306 दिनांक 18/06/2025 के संबंध में सूचित है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एवं यू.जी.सी. द्वारा जारी Curriculuan and Credit Framework for Postgraduate Programmes (june 2024) के आधार पर नवीन अध्यादेश क्रं. 14(2) पर माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा वि.वि. समन्वय समिति के अनुशंसा की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह अध्यादेश प्रदेश के समस्त वि०वि० एवं महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से प्रभावकारी होगा।

कृपया तदनुसार अध्ययन मण्डल की यथाशीघ्र बैठक आयोजित कर पाठ्यक्रम अनुमोदित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
3. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर